माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2007 को संध्या 5.00 बजे सम्पन्न ''न्यासी प्रर्षद, मुख्य मंत्री राहत कोष'' की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :–

1. मुख्य मंत्री बिहार,
   मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
2. मुख्य सचिव, बिहार
3. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
4. आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार
5. आयुक्त एवं सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार,
6. सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार
7. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार
8. विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार,

विचारोपरान्त न्यासी पर्षद द्वारा निम्न प्रकार से निर्णय लिए गए :–

संकल्प–1 दिनांक 17.10.2006 को सम्पन्न न्यासी पर्षद, मुख्य मंत्री राहत कोष की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई ।

संकल्प–2 दिनांक 17.10.2006 को सम्पन्न न्यासी पर्षद की बैठक की कार्यवाही के निहित विन्दुओं के अनुपालन की समीक्षा की गई ।

संकल्प–3 मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 8 (d) के तहत् अध्यक्ष, मुख्य मंत्री राहत कोष द्वारा स्वीकृत/विमुक्त एवं मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 18 के तहत विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों की सूची न्यासी पर्षद के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें सितम्बर, 2006 से दिनांक 23.02.2007 तक स्वीकृत 60 (साठ) लाभान्वितों को उच्च शिक्षा मद में स्वीकृत/विमुक्त की गई राशि– 11,82,876/–(ग्यारह लाख बेरासी हजार आठ सौ छिहत्तर) रूपये एवं इसके अतिरिक्त एक मामले में मुख्य मंत्री द्वारा मात्र–50,000/–(पच्चास हजार) रूपये की राशि स्वीकृत किये जाने की सूचना न्यासी पर्षद को दी गयी ।

संकल्प–4 गत बैठक में लिए गए निर्णय संकल्प संख्या–47946 दिनांक 10.11. 2006 के आलोक में चिकित्सा केन्द्रों की पहचान कर सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिया गया ।

संकल्प–5 :–

(क) सदस्य सचिव–सह–विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय ने सूचना दी कि बीच की अवधि में मुख्य मंत्री राहत कोष को किसी दाता से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) मुख्य मंत्री राहत कोष की राशि को व्यावसायिक बैंको में रखेजाने संबंधी प्रस्ताव के संदर्भ में विभिन्न बैंको से दिनांक 12.02.2007 तक प्राप्त ब्याज दरों की तुलनात्मक विवरणी न्यासी पर्षद के समक्ष उपस्थापित की गई । यह निर्णय हुआ कि बैंकों को अन्तिम तिथि अंकित करते हुए एक मौका और दिया जाय । इस विन्दु पर वित्त आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

संकल्प-6 :-

(क) यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी/राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में नामांकित छात्रों को भी सहायता राशि अनुमान्य होगी ।

(ख) न्यासी पर्षद द्वारा निर्णय लिया गया कि निजी प्रबन्धन वाले संस्थानों में नामांकित छात्रों को मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता अनुमान्य नहीं होगी । तदनुसार आन्तरिक मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गयी ।

(ग) न्यासी पर्षद द्वारा मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता राशि प्राप्ति हेतु वार्षिक आय की सीमा के पुनर्निर्धारण के विन्दु पर भी विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि एक लाख रूपये तक वार्षिक आय वालों को ही मुख्य मंत्री राहत कोष से राशि विमुक्ति की जा सकेगी ।

संकल्प–6 (क)(ख) तथा (ग) के आलोक में आन्तरिक मार्गदर्शिका में संशोधन का निर्णय लिया गया ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गयी ।

(उपर्युक्त कार्यवाही पर अध्यक्ष, मुख्य मंत्री राहत कोष–सह–माननीय मुख्य मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है ।)

(चंचल कुमार)
सदस्य सचिव,
मुख्य मंत्री राहत कोष–सह–
विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय

ज्ञापांक–सा0–30/2005–4700418/मु.मं.स., पटना, दिनांक–9/3/07

प्रतिलिपि–1. माननीय मुख्य मंत्री जी के आप्त सचिव, बिहार, पटना ।
2. मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।
3. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना ।
4. आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
5. आयुक्त एवं सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
6. सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना ।
7. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना ।
8. विशेष सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

7/3

(चंचल कुमार)
विशेष सचिव,
मुख्य मंत्री सचिवालय,
बिहार, पटना ।